



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2020]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020
(27 फाल्गुन, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 18/के०अ० 5/1908/धा० 2/2020, दिनांक 16 मार्च, 2020— सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में सरकारी प्लीडर नियुक्त करने बारे।	45-46
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 19/के०अ० 2/1974/धा० 24/2020, दिनांक 16 मार्च, 2020— सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लोक अभियोजक नियुक्त करने बारे।	47-50
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 20/ह०अ० 3/1970/धा० 9/2020, दिनांक 16 मार्च, 2020— हरियाणा मन्त्री भत्ता (संशोधन) नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	51-52
भाग IV	शुद्धि-पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2020

संख्या का०आ० 18/के०अ० 5/1908/धा० 2/2020.— सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 2 के खण्ड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 4 तथा आदेश XXXIII के नियम 6 में विनिर्दिष्ट कृत्यों सहित उक्त संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से अधिरोपित सभी कृत्यों का पालन करने के लिए, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए अनुसूची के खाना-2 के नीचे वर्णित अधिकारियों, जिसका वर्तमान पता उक्त अनुसूची के खाना 3 के नीचे दिया गया है, को सरकारी प्लीडर के रूप में उनकी अपनी तैनाती के स्थान पर ऐसे रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रमांक संख्या	नाम सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम तथा तैनाती का वर्तमान स्थान
1	2	3
1	रेनू	उप जिला न्यायवादी कार्यालय जिला न्यायवादी, रोहतक।
2	प्रियान्शु चतुर्वेदी	उप जिला न्यायवादी कार्यालय उप जिला न्यायवादी, हरियाणा लीगल सैल, संघ राज्यक्षेत्र न्यायालय, चण्डीगढ़।
3	भूपेन्द्र कुमार	उप जिला न्यायवादी कार्यालय जिला न्यायवादी, कुरुक्षेत्र।
4	दलीप कुमार	उप जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अम्बाला।
5	नेत राम	उप जिला न्यायवादी कार्यालय जिला न्यायवादी, फरीदाबाद।
6	आकाश तंवर	उप जिला न्यायवादी कार्यालय जिला न्यायवादी, फरीदाबाद।
7	राजेन्द्र	उप जिला न्यायवादी कार्यालय जिला न्यायवादी, पंचकुला।
8	रेखा रानी	उप जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद।
9	संत राम	उप जिला न्यायवादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2020

No. S.O. 18/C.A. 5/1908/S.2/2020.— In exercise of the powers conferred by clause (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), the Governor of Haryana hereby appoints the following officers mentioned under column 2 of the Schedule given below, to be Government Pleader for the whole of the State of Haryana to perform all the functions expressly imposed by the said Code including the functions specified in rule 4 of order XXVII and rule 6 of Order XXXIII of the First Schedule to the said Code, from the date they joins their duties as such at their respective places of postings, namely:-

Schedule

Serial Number	Name S./Sh./Smt.	Designation and Present Place of Posting
1	2	3
1.	Renu	Deputy District Attorney O/o the District Attorney, Rohtak.
2.	Pranshu Chaturvedi	Deputy District Attorney O/o Deputy District Attorney, Haryana Legal Cell, U.T. Court, Chandigarh.
3.	Bhupender Kumar	Deputy District Attorney O/o the District Attorney, Kurukshetra.
4.	Dalip Kumar	Deputy District Attorney O/o the Superintendent of Police, Ambala.
5.	Net Ram	Deputy District Attorney O/o the District Attorney, Faridabad.
6.	Akash Tanwar	Deputy District Attorney O/o the District Attorney, Faridabad.
7.	Rajender	Deputy District Attorney O/o the District Attorney, Panchkula.
8.	Rekha Rani	Deputy District Attorney O/o the Superintendent of Police, State Vigilance Bureau, Faridabad.
9.	Sant Ram	Deputy District Attorney O/o the Superintendent of Police, Rewari.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.